अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

संदर्भ वाद संख्या–3034/2024

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अक्की उर्फ आकिब

पत्रावली, जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत संदर्भ पत्र के अनुक्रम से पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि वाद संख्या–7482/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–D202318020007482 सरकार बनाम अक्की उर्फ आकिब अन्तर्गत धारा–14 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 तथा पश्चातवर्ती स्तर का, वाद संख्या–8276/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–D202318020008276 अक्की उर्फ आकिब बनाम सरकार अन्तर्गत धारा–15 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में पारित आदेश दिनांकित 30–09–2023 व 31–08–2024 के साथ मूल पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय से पेश किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों के अनुक्रम से जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–16 के अन्तर्गत मामले को **रेफरेंस वाद** के रूप में दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मामले के विपक्षी को अविलम्ब नोटिस जारी हो। कार्यालय लिपिक अनुपालन सुनिश्चित करे।

अतः पत्रावली वास्ते आपत्ति व निस्तारण दिनांक 05–11–2024 को पेश हो।

दिनांकः 15–10–2024

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2024.10.15 16:49:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court